न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/98/2021

प्रदीप कुमार मीना गांव श्रीया का वास पोस्ट– बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर।

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 14.12.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है प्रदीप कुमार मीना गांव श्रीया का वास पोस्ट–बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2021 अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर से सूचना चाही गई थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/756 दिनांक 30.11.2021 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक 850 दिनांक 08.12.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने अपने जबाब पत्र क्रमांक 850 दिनांक 08.12.2021 से अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचनाऐं उनके कार्यालय से सबंधित न होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन विकास अधिकारी पंचायत समिति कुम्हेर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाकर अपीलान्ट को भी सूचित कर दिया गया है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है किन्तु वांछित सूचना अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर से सम्बंधित न होने से उनके द्वारा अपीलान्ट का आवेदन धारा 6(3) के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति कुम्हेर को अन्तरित करते हुये पत्रांक 828–830 दिनांक 03.12.2021 से

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अपीलान्ट को भी सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलान्ट वांछित सूचना प्राप्त करने विकास अधिकारी पंचायत समिति कुम्हेर के कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही करे। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा की गई यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर